राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान

National Institute for Locomotor Disabilities (Divyangjan)

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ,भारत सरकार)

(Department of Empowerment of PwDs (Divyangjan), Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India)

बी.टी .रोड बनहुगली, कोलकाता-700090 / B.T. Road, Bon-Hooghly, Kolkata-700090

Phone: 2531-0279, 2531-0610/Tele Fax: 2531-8379/E-mail: mail@nioh.in/web: www.niohkol.nic.in

दिनांक 10.12.2025 को भारत सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या डॉ. अर्चना मजूमदार का राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान में आगमन एवं जागरूकता कार्यक्रम पर रिपोर्ट

भारत सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या डॉ. अर्चना मजूमदार ने दिनांक 10 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान कोलकाता का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के सदस्यों एवं रागदिसं तथा राबौदिससं, अयाजंरावाश्रस क्षेत्रीय अध्यायों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने रागदिसं की विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की और दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु प्रदान की जा रही सेवाओं की सराहना की।

उन्होंने रागदिसं के विद्यार्थियों एवं दिव्यांगजनों से भी संवाद किया तथा उन्हें करियर के विकास, आत्मनिर्भरता और समुदाय एवं समाज में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हुए उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान किया।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम तथा मातृत्व लाभ अधिनियम पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने रागदिसं, कोलकाता, अयाजंरावाश्रस के क्षेत्रीय केंद्रों एवं राबौदिससं के विद्यार्थियों और कर्मचारियों के साथ संवाद किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने दोनों अधिनियमों के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी तथा अधिकारों के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहित किया।

राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान

National Institute for Locomotor Disabilities (Divyangjan)

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ,भारत सरकार)

(Department of Empowerment of PwDs (Divyangjan), Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India)

बी.टी .रोड बनहुगली, कोलकाता-700090 / B.T. Road, Bon-Hooghly, Kolkata-700090

Phone: 2531-0279, 2531-0610/Tele Fax: 2531-8379/E-mail: mail@nioh.in/web: www.niohkol.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली की सदस्या डॉ. अर्चना मजूमदार द्वारा 10.12.2025 को निदेशक, उप निदेशक (प्रशासन) एवं सभी विभागाध्यक्षों के साथ आयोजित आधिकारिक बैठक के दौरान आईसीसी/पॉश अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए गए।

- आईसीसी (ICC) के लिए अलग ई-मेल आईडी का सृजन किया जाए।
- संस्थान के सभी कार्मिकों एवं छात्र को उक्त अधिनियमों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाएं।
- प्रत्येक तीन माह के अंतराल पर विभागीय/अनुभागीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
- मासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदन मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाएं।
- अध्यक्ष एवं सदस्यों को प्रत्येक तीन वर्ष के अंतराल पर बदला जाए/आईसीसी समिति का पुनर्गठन किया जाए।
- आईसीसी के सदस्यों की सूची, फोन नंबर, ई-मेल आईडी आदि की जानकारी हेतु रोगी सेवा क्षेत्र, छात्र कॉर्नर एवं कार्मिक सूचना पट्ट पर डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएं।

ह/-

निदेशक